न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA162 Premaram Vs State

प्रेमाराम पुत्र जोगाराम माली
निवासी ग्राम बागा, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

----- अपीलांण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 48/2014 राजस्थान सरकार बनाम प्रेमाराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 48/2014 राजस्थान सरकार बनाम प्रेमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बागा जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 135 रकबा 129 बीघा 13 बिस्वा में से 50 गुणा 15 गुणा 01 मीटर कृषि भूमि पर अवैध खनन मानते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि-

1. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के खिलाफ न तो कोई नोटिस/सम्मन अपीलाण्ट पर तामील हुआ और न ही अपीलाण्ट ने पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता ही नियुक्त किया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में बिना किसी आधार के अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जबाब पबन्द किया जाता है। पत्रावली दिरनांक 18/11/2018 को पेश हो।
2. ग्राम बागां के खसरा संख्या 135 रकबा 129 बीघा 13 बिस्वा भूमि बाबूलाल, प्रेम, लक्ष्मणराम, जमनाराम, प्रतापराम, भोमाराम पिसरान जोगाराम की खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में बाबूलाल का देहान्त होने पर उसके स्थान पर उसके वारिसान ताराचंद, गोपाल, दिलीप पिसरान बाबूलाल व सुवादेवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेवा बाबूलाल का नाम जमाबंदी में दर्ज किया गया। नकल जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत की गयी थी, ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड-जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारान को मामले में पक्षकारान बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

3. वास्तव में वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई खनन ही नहीं है, क्योंकि खनन कार्य की गहराई एक मीटर अर्थात करीब सवा तीन फीट बतलाई गयी है। ज्ञातव्य है कि सवा तीन फीट की गहराई की खुदाई पर किसी प्रकार का कोई खनिज प्राप्त नहीं होता है। स्वयं पटवारी हळका की रिपोर्ट के अनुसार भी वक्त मौका निरीक्षण किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा रहा था।

अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।
2. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।
3. दिनांक 11 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी-अपीलाण्ट के नोटिस विधिवत तामील नहीं होने के कारण पुनः पेश होने पर जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 15 दिसम्बर 2017 की आदेशिका में भी अप्रार्थी के नोटिस जारी होकर मिसल दिनांक 05 जनवरी 2018 को पेश होने बाबत लिखा गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. इसके बाद भी किसी आदेशिका में अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से किसी अधिवक्ता या स्वयं अप्रार्थी-अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अंकित नहीं है और न ही उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसरण में कोई नोटिस जारी किया जाना अथवा उक्त आदेशिका की दिनांक के बाद कोई नोटिस उक्त अपीलाण्ट पर तामीलशुदा या अदम-तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जबाब बन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/11/2018 को पेश हो। इससे **स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।**

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम बागां की जमाबंदी संवत 2058-2061 उपलब्ध है, जिसमें खसरा संख्या 135 रकबा 129 बीघा 13 बिस्वा भूमि के खातेदार बाबूलाल, प्रेम, लक्ष्मणराम, जमनाराम, प्रतापराम, भोमाराम पिसरान जोगाराम दर्ज है, तथा विशेष विवरण के कॉलम में म्युटेशन संख्या 883 दिनांक 11.09.2008 के द्वारा बाबूलाल के फौत के स्थान पर ताराचंद, गोपाल, दिलीप पिसरान बाबूलाल सुवादेवी बेवा बाबूलाल कौम माली शेष बदस्तुर दर्ज है। मगर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 की कार्यवाही में इन सभी खातेदारान को पक्षकारान नहीं बनाया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. पटवारी की रिपोर्ट में नक्शें पर खनन के लिए 50गुणा15गुणा1 मीटर पर खनन का नाप अंकित किया गया है, मगर खनन का स्थान विशेष वर्णित नहीं किया गया है और खनन की गहराई केवल एक मीटर तक दर्शाई गयी है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग अर्थात उत्खनन करके खनिज निकालने कें प्रयोजन में होना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर